न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 05/21 सन् 2021

RCMS NO-2021/58

बउनवानीः—1. वेद प्रकाश शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी भगवतगढ, तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी भगवतगढ द्वारा— बांगड एन्टर प्राईजेज तालाब पाडा, बस स्टेण्ड भगवतगढ, तहसील चौथ का बरवाडा
2. जयप्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी द्वारा— बांगड एन्टर प्राईजेज तालाब पाडा, बस स्टेण्ड भगवतगढ, तहसील चौथ का बरवाडा
3. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1289 निर्णय दिनांक 16.6.2020 बाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री उमाशंकर शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्याम सुन्दर गुप्ता — वकील रेस्पो. संख्या 1,2

—: निर्णय :— दिनांक 12.10.2022

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 1289 नर्णय दिनांक 16.6.2020 वाके. ग्राम भगवतगढ के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. एक ही परिवार के सदस्य है तथा अपीलान्ट के वंश वृक्ष के अनुसार रामनाथ के चार पुत्र क्रमशः राधेश्याम,सीताराम,राजाराम,लक्ष्मण है तथा राधेश्याम के क्रमशः चार पुत्रियॉ जिसमे जशोदा, उषा, उमा,उर्मिला है तथा दो पुत्र वेदप्रकाश व जयप्रकाश है। अपीलान्ट के पिता राधेश्याम की पैत्रक आराजीयात ख0न0 1522 रकबा 9 बीधा 6 बिस्वा थी जिसके नये ख0न0 क्रमशः 4252 रकबा 0.71 है0, ख0न0 4251 रकबा 0.73 है0, ख0न0 4249 रकबा 0.20है0 ख0न0 4250 रकबा 0.71 है0 कुल रकबा 2.35 है0 वाके ग्राम भगवतगढ है जिसमे से ख0न0 4252 रकबा 0.71 है0 मे उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है अर्थात 0.10 है0 भूमि होती है। रेस्पो0 राधेश्याम को मात्र 10 है0 भूमि का स्थानान्तरण का ही अधिकार है। अतः दानपत्र के माध्यम से 0.18 है0 भूमि दान करने का वैधानिक अधिकार नही होने से उक्त भूमि का 4... रकबा 0.53 है0 व ख0न0 4252 रकबा 0.18 है0 मे विभाजन अवैध व शून्य है। अतः विभा... निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 4252 रकबा 0.71 है0 के 1/4 हिस्से का विभाजन मे भी ख0न0 4252 रकबा 0.18 है0 सम्पूर्ण भूमि सड़क ... कानूनी रूप से विभाजन किया गया है जबकि दानपत्र मे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है तथा सम्पूर्ण 1/4 ... पैत्रिक भूमि का सड़क पर विभाजन के अनुसार तस्दीक नही किया है तथा विभाजन निर्णय मे ख0न0 दिये है उनको नामा0 मे बदलकर 5430/4252, 5431/4252 कर दिया है जो आदेश से मिलान नही खाते है। तथा विवादित आदेश व नामा0 मे अपीलान्ट पक्षकार नही था इसलिए

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola

Date: 2023.03.17 17:35:24 IST

Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उक्त नामा0 खारिज योग्य है। आदेश जैर अपील की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी 9.3.2021 को हुई तथा दिनांक 10.3.2021 को नकल प्राप्त होने अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 3.11.2009 को ख0न0 4252 रकबा 0.71 है0 मे से 0.18 है0 का दानपत्र किया है तथा उक्त दानपत्र के अनुसार रेस्पो. संख्या 1 व 2 के मध्य ख0न0 4252 का आपसी सहमति से किये गये बटवारानामा के आधार पर आदेश जैर अपील तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार विधिक त्रुटि नही है। वकील अपीलान्ट द्वारा ख0न0 4252 को लेकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के मध्य हुए दान पत्र एवं बटवारानामा को विधि विरूद्व होना बताते हुए उक्त बटवारानामा के आधार पर दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1289 दिनांक 16.6.2020 को विधि विरूद्व बताया गया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर उक्त नामा0 विधिविरूद्व साबित हो सके। यदि बटवारानामा एवं दान पत्र विधिविरूद्व है तो उनको निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। चूंकि आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि रेस्पो.संख्या 1 व 2 के मध्य दिनांक 19.2.2020 को ख0न0 4252 का आपसी सहमति से हुऐ बटवारानामा के आधार पर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 1289 दिनांक 16.6.2020) तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल किया गया है अर्थात उक्त नामा0 का मुख्य आधार बटवारानामा है ओर जब तक उक्त बटवारानामा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक उक्त बटवारानामा के आधार पर दर्ज फैसल आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1289 में हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नही है। जहॉ तक दान पत्र एवं बटवारानामा अवैध होने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन का प्रश्न है तो उक्त दोनो दस्तावेजो की वैधानिकता की जॉच इस नामा0 अपील मे नही हो सकती है। उक्त दस्तावेजो की वैधानिकता की जॉच हेतु अपीलान्ट पृथक से सक्षम न्यायालय मे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील रेस्पो0 के कथन के अनुसार आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर